न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 57/2012
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 10.05.2012
निर्णय दिनांक – 28.01.2025

अनवान

1. श्री विरूलाल पिता नारूजी माली
2. श्री जयकिशन पिता नारूलाल माली

निवासीयान कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता नारू जी माली निवासी स्टेशन रोड, शास्त्री मार्केट के सामने कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता नारू जी माली निवासी कलेक्ट्रेट रोड, आयकर विभाग के सामने कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण

भंवरलाल बनाम विरूलाल मु.न. 199/06 रे.वाद में पारित एक तरफा निर्णय दिनांक 29.11.2006 अपास्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित

अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री दिग्विजय सिंह
अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 – श्री महेश पगारिया

निर्णय

प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 199/06 रेवेन्यु वाद अनवान भंवरलाल बनाम विरूलाल में दिनांक 29.11.2006 को पारित निर्णय आदेश को एक तरफा बताते हुए उक्त निर्णय को अपास्त करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम हवाला में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियां आ.नं. 350, 351, 352 स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण में से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। आ.नं. 352 चाह है, जिससे उक्त भूमियों की सिंचाई होती है, उक्त आ.चाह भी प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से 15 दिन पूर्व प्रार्थीगण उकत आ.चाह पर गये तो विपक्षी संख्या 1 ने गाली.गलौच करते हुए प्रार्थीगण को कहा कि उक्त कुए में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है तुम कुए

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

से पानी नहीं ले सकते हो। विपक्षी भंवरलाल द्वारा प्रार्थीगण को उक्त कुए से पानी ले जाने से रोकने की धमकी दी जाने पर प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध आ.चाह के संबंध में कार्यवाही करने हेतु आ.चाह की नकल निकलवाने पर प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि आ.चाह विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है, तब पटवारी हल्का से जानकारी करने पर दिनांक 9.04.2012 को पता चला की इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.11.2006 से उक्त आचाह विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है, एवं दिनांक 13.04.2012 को उक्त निर्णय की नकल निकलवाने पर प्रार्थीगण को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण की सहमति एवं उपस्थिति बताते हुए, आप न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया जबकि प्रार्थीगण कभी न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए ना ही कभी निर्णय में वर्णित अनुसार विभाजन की सहमति दी। निर्णय में पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की पहचान करना बताया है जो गलत है, ना प्रार्थीगण कभी न्यायालय में नहीं आये, ना ही पटवारी ने प्रार्थीगण की पहचान की न्यायालय की प्रासिडींग पर भी प्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में दिनांक 25.11.2006 को वाद प्रस्तुत किया जाना न्यायालय की प्रोसिडींग में अंकित है, और नोटिस जारी कर वास्ते जवाब दिनांक 29.11.2006 को पेश होने का आदेश दिया गया है और दिनांक 29.11.2006 को प्रकरण में पक्षकारान की उपस्थिति बताई गई है और उसी दिन पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होना बताया गया जबकि पत्रावली में पटवारी को रिपोर्ट पेश करने का काई आदेश ही नहीं दिया गया। प्रकरण में विपक्षीगण ने पटवारी से मिलीभगत कर सारा फर्जीवाडा किया है। प्रकरण में ना तो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई, न अन्तिम डिक्री पारित की गई सारी कार्यवाही एक दिन में ही प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में कर दी गई है। जिससे प्रार्थीगण को यह भी आशंका है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के स्थान पर न्यायालय में अन्य व्यक्तियों को पेश कर दिया हो। दिनांक 09.04.2012 को पटवारी हल्का द्वारा निर्णय के बारे में बताये जाने से पूर्व प्रार्थीगण को न्यायालय के निर्णय के बारे में जानकारी नहीं थी, निर्णय की जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। विलम्ब हेतु विधिक आपत्ति के निराकरण हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मु.नं. 199/06 भवंरिया बनाम विरूलाल में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2006 को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण को तलब किया गया। बावजुद तामील विपक्षी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने से दिनांक 9.07.2012 को विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। दिनांक 12.12.2012 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जिससे प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र गलत होकर अस्वीकार है। विवादित आराजीयात रेकर्ड एवं मौके पर विभक्त होकर पक्षकारान के नाम पर अलग–अलग दर्ज है। चाह अथवा अन्य कोई भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि वे 15 दिन पूर्व कुए पर आए हो अथवा विपक्षी ने गाल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

गलौच की हो। सही तथ्य यह है कि विपक्षी संख्या 1 आराजी चाह का अकेला खातेदार एवं स्वामी होकर काबिज है। इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 ने चारों तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है और मकान बना रखा है। प्रार्थीगण का विपक्षी संख्या 1 की आराजी चाह में कोई हिस्सा, हक, अधिकार अथवा दखल नहीं है। पक्षकारान के मध्य आराजी चाह को लेकर कभी कोई बातचीत अथवा वार्तालाप नहीं हुई। यह भी गलत है कि प्रार्थीगण को दिनांक 09.04.2012 को न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.11.2006 की पहली बार जानकारी हुई हो। दिनांक 29.11.2006 का निर्णय, सभी पक्षकारान की आपसी सहमति से किये गये विभाजन को रेकार्ड करते हुए, पारित किया गया था, जिसकी प्रार्थीगण को दिनांक 29.011.2012 एवं उससे पूर्व भी जानकारी थी। प्रार्थीगण गलत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्णय दिनांकं 29.11.2006 की जानकारी नहीं होने का कथन कर रहे है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर वाद पत्र एवं जवाब दावा आप न्यायालय में पेश किया गया था। आपसी सहमति के आधार पर ही पक्षकारान के बयान रिकोर्ड किये गए। आपसी सहमति से विभाजन का प्रारूप (योजना) बनाया गया, जिस पर सहमति स्वरूप सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है, जिसकी पुष्टि में तत्कालिन पटवारी एवं तहसीलदार के भी हस्ताक्षर है। निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि निर्णय उनकी अनपस्थिति में पारित किया गया हो। उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2006 एवं उसके पहले की सारी कार्यवाही पक्षकारान की आपसी सहमति, रजामन्दी एवं राजी खुशी की गई है, जिसके तहत आराजी चाह नम्बर 352 लगभग 1 बिस्वा अकेले विपक्षी संख्या 1 भंवरलाल के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य में रखा गया। इसी आराजी चाह के पूर्व दिशा में स्थित आराजी नम्बर 351/3 का रकबा 12 बिस्वा 05 बिस्वांशी भाग भी विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में रखा गया, जो शुरू से प्रार्थीगण की जानकारी में है। उनके द्वारा पहले कभी किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं उठाया गया। न्यायालय द्वारा पूर्व वाद प्रकरण संख्या 199/06 में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता या फर्जीवाडा नहीं है। सारी कार्यवाही आपसी सहमति के आधार पर पक्षकारान की रजामन्दी से नियमानुसार की गई है, जिसे सन्देहास्पद अथवा फर्जी कहने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में पक्षकारान की आपसी सहमति एवं रजामन्दी से पटवारी हल्का द्वारा विभाजन की घोषणा तैयार की गई जिस पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण ने राजीखुशी सहमत होकर हस्ताक्षर किये है। इस तरह की विभाजन योजना में न्यायालय में पेश होने के बाद ही उसे सहमति योजना के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2006 को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी पालना में सन 2006 में सहमति विभाजन के आधार पर पक्षकारान के नाम राजस्व रिकोर्ड में अलग–अलग खाते खोल कर नामान्तरण खोल दिया गया, जिसकी जानकारी भी प्रार्थीगण को सन 2006 से ही है। ऐसे मामलो में जहां विभाजन की योजना आपसी सहमति के आधार पर पेश की गई हो, प्रारम्भिक डिक्री पारित करना आवश्यक नहीं है विपक्षीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के लिए प्रार्थीगण की जगह अन्य व्यक्तियों को पेश कर दिये जाने के तथ्य काल्पनिक, मनगढन्त एवं गलत अंकित किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा जानबुझ कर अत्यधिक विलम्ब से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। धारा 5 मयाद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रार्थीगण इस लम्बी अवधी को कन्डोन कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बैरून मयाद होकर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। जवाब के विशेष कथन में विपक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण चारो को उक्त विभाजन के तहत प्रत्येक को 13 बिस्वा 05 बिस्वांशी भूमि बराबर–बराबर प्राप्त हुई है। विपक्षी संख्या 1 को भी चाह को सम्मिलित करते हुए 13 बिस्वा 05 बिस्वांशी भूमि ही मिली है, इससे अधिक नहीं। विभाजन के पश्चात पक्षकारान ने अपने अपने हिस्से पर लागत लगाकर बाउन्ड्रीवाल बनाई। प्रार्थी विरूलाल ने अपने हिस्से की भूमि में एक मकान भी बना लिया है। विपक्षी संख्या 2 लक्ष्मीलाल ने अपना हिस्सा किसी अन्य को विक्रय कर दिया। विपक्षी संख्या 1 ने भी अपने हिस्से की भूमि एवं आराजी चाह में काफी लागत लगा भूमि को समतल किया और निर्माण कार्य कराया। आराजी चाह पर जो विद्युत कनेक्शन है वह भी विपक्षी संख्या 1 के नाम पर है जिसमें विपक्षी संख्या 1 ने स्वयं की मोटर लगा रखी है। बंटवारे के तुरन्त बाद कुए पर लगी पुरानी मोटर प्रार्थी विरूलाल खोल कर ले गया। लम्बे समय तक कुएं का कनेक्शन कटा रहा विपक्षी संख्या 1 ने सन 2008–09 में कनेक्शन वापस करवाया। प्रार्थी विरूलाला उर्फ विरेन्द्र कुमार द्वारा दिसम्बर 2008 में विपक्षी संख्या 1 विरूद्ध कुए के पानी के विवाद के सम्बन्ध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना राजनगर में दर्ज कराई थी तब भी विपक्षी संख्या 1 ने न्यायालय निर्णय 29.11.2006 के आधार पर आराजी चाह विपक्षी संख्या 1 की होने की बात पुलिस अधिकारी को बताई थी। प्रार्थी द्वारा यह कहना कि उक्त निर्णय की जानकारी प्रथम बार दिनांक 09.04.2012 को हुई, सरासर गलत एवं मनगढन्त है। प्रार्थीगण तथ्यों को छिपाते हुए अस्वच्छ हाथों से विपक्षी संख्या 1 को परेशान करने व अनाधिकृत रूप से आराजी चाह में अपना हिस्सा कायम करवाने के अवांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह कार्यवाही कर रहे है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने से भी निरस्त योग्य है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

दिनांक 25.11.2014 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष द्वारा मूल वाद प्रकरण संख्य 199/06 को तलब कराने हेतु निवेदन किया गया। जिससे पत्रावली तलबी का आदेश दिया गया। दिनांक 30.07.2024 को मूल पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण में दिनांक 10.01.2025 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को दिनांक 09.04.2012 से पूर्व न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 199/06 में दिनांक 29.11.2006 को संपादित कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर एवं मु.नं. 199/06 भवंरिया बनाम विरूलाल में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2006 को अपास्त करने का आदेश फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा भी जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों को मिथ्या एवं गलत बताया जाकर यह कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा यह कहना कि उक्त निर्णय की जानकारी प्रथम बार दिनांक 09.04.2012 को हुई, सरासर गलत एवं मनगढन्त है। प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अस्वच्छ हाथों से विपक्षी संख्या 1 को परेशान करने व अनाधिकृत रूप से आराजी चाह में अपना हिस्सा कायम करवाने के अवांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने से भी निरस्त योग्य है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश आज दिनांक 28.01.2024 को नियत है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल पत्रावली संख्या 199/06 का अवलोकन किया गया। पत्रावली संख्या 199/06 की सम्पूर्ण कार्यवाही के अवलोकन से ऐसा प्रतित होता है कि मूल प्रकरण पत्रावली संख्या 199/06 उभय पक्षकारान द्वारा आपसी रजामन्दी से न्यायालय में दायर करवाया गया है जिससे स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर तत्कालीन पटवारी हल्का कांकरोली द्वारा उभयपक्षकारान की पहचान करते हुए प्रत्येक पक्षकार के बयान दर्ज किये गये एवं उभय पक्षकारान एवं भू–अभिलीख निरीक्षक की उपस्थिति में बंटवाडा फेहरिस्त तैयार की गई है तथा पटवारी हल्का कांकरोली एवं भू–अभिलेख निरीक्षक कांकरोली की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 29.11.2006 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने की अनुशंषा की गई। इस प्रकार सहमति से सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही एवं विभाजन फेहरिस्त के आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर विभाजन करने का आदेश पारित किया गया है। जिससे प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्हे इस प्रकरण की दिनांक 09.04.2012 से पूर्व कोई जानकारी नही थी, पूर्व प्रकरण संख्या 199/2006 में विभाजन फेहरिस्त पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होने से गलत पाया गया है। उक्त समस्त कार्यवाहीं की प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी एवं प्रकरण संख्या 199/2006 में निर्णय सभी पक्षकारान को सुना जाकर पक्षकारो की सहमति से पारित किया गया है, जिससे प्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा निर्णय या डिक्री पारित नहीं की गई। जबकि आदेश 9 नियम 13 उन्ही मामलो में लागु होता है जहां किसी पक्षकार के विरूद्ध एक तरफा डिक्री पारित की गई हो। उक्त तथ्यों के अवलोकन से ऐसा जाहिर होता है कि प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर उक्त प्रकरण की जानकारी होते हुए भी 6 वर्ष बाद प्रकरण में पारित निर्णय को अपास्त करने हेतु अत्यन्त विलम्ब से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मयाद बाहर होकर पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं होने से एवं मिथ्या कथन पर आधारित होने से उक्त विलम्ब अवधी किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

199/2006 में अपनी अनुपस्थिति बताते हुए प्रकरण की कार्यवाही किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में होने की आशंका जताकर कार्यवाही के फर्जी होने का कथन किया है, जो गलत अंकित है तथापि कार्यवाही के फर्जी होने के संबंध में सुनवाई का अधिकार रेवेन्यु न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है। जिससे प्रार्थीगण कार्यवाही फर्जी होने संबंधी अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय से प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

पत्रावली के समग्र अवलोकन एवं तथ्यों के अध्ययन तथा उपरोक्तानुसार विवेचन के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण संख्या 199/06 में की गई कार्यवाही की समस्त जानकारी प्रार्थीगण को विभाजन फेहरिस्त के तैयार किये जाने के समय से ही थी। पक्षकारों के सहमत होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की जाकर आपसी सहमति के आधार पर विभाजन योजना तैयार की जाकर पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा प्रकरण में विभाजन आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध इतने लम्बे समय उपरान्त अब किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार की जाना न्यायोचित नहीं है। वस्तुतः प्रार्थीगण द्वारा निर्णय के 6 वर्ष पश्चात अत्यन्त विलम्ब से बिना किसी पर्याप्त एवं उचित कारण के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है एवं अस्वच्छ हाथों से तथ्यों को छिपाकर मिथ्या एवं गलत आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने से तथा पूर्व वाद प्रकरण संख्या 199/06 में निर्णय एक पक्षीय नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 जा.दी. साबित नहीं होता है, जिससे प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम विलम्ब का पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं होने से एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 जा.दी. गलत आधारों पर प्रस्तुत किया जाकर साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द सत्यमेव जयते

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner